

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मार्च 2009—फाल्गुन 11, शक 1930

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2009

क्र. डी-15-33-2007-चौदह-3.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 32-क की सहपठित धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात् :—

नियम

अध्याय-एक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 है.

(2) ये “राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973);

(ख) “बोर्ड” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(ग) “धारा” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन की धारा;

(घ) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक और उसमें सम्मिलित है अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक;

- (ड) "अपर संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अपर संचालक;
- (च) "उप संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का उप संचालक;
- (छ) "अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे अधिनियम के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये;
- (ज) "वाणिज्यिक संव्यवहार" से अभिप्रेत है, ऐसा संव्यवहार, जो मण्डी प्रांगण के भीतर या मण्डी प्रांगण के बाहर, मण्डी क्षेत्र के भीतर या मण्डी क्षेत्र के बाहर, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर व्यापारी द्वारा कृषि उपज के उपभोक्ताओं को विक्रय, क्रय, अनुषांगिक विक्रय-क्रय हेतु प्रसंस्करण करने या भण्डारण या विक्रय के संबंध में किया गया हो जिसमें राज्य की किसी मण्डी समिति को मण्डी फीस का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया हो और मण्डी फीस के भुगतान से संबंधित जानकारी विहित प्ररूप में संबंधित मण्डी समिति को प्रस्तुत कर दी गई हो;
- (झ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ञ) "कदाचरण" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, प्रबंध संचालक, कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, उप संचालक, मण्डी समिति द्वारा भेजी गई जानकारी जानबूझकर प्राप्त नहीं करना या प्राप्त करने से इन्कार करना या बोर्ड, प्रबंध संचालक या प्राधिकृत प्राधिकारी, मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये आदेश/निदेश की अवज्ञा करना या समय-सीमा में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत न करना या अपूर्ण या असत्य जानकारी प्रस्तुत करना;
- (ट) "विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र" से अभिप्रेत है, मण्डी समिति का ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 32-क के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये घोषित किया गया है;
- (ठ) "विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र" से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये स्थापित किया गया क्रय केन्द्र और एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में मण्डी प्रांगण में स्थापित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की सुविधाएं इसमें सम्मिलित होंगी;
- (ड) "विशेष अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये धारा 32-क की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति;
- (ढ) "केन्द्र प्रभारी" से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज का उचित विनियमन तथा नियंत्रण करने के लिये प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव या उप संचालक द्वारा पदस्थ किया गया अधिकारी/कर्मचारी;
- (ण) "प्रशासनिक मण्डी समिति" से अभिप्रेत है, धारा 11 के अधीन गठित वह मण्डी समिति जिसे धारा 32-क के अधीन विशेष अनुज्ञप्तिधारक मण्डी कृत्यकारी के लिये घोषित विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार निहित है;
- (त) "एक्सचेंज" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में यथापरिभाषित आढतिया के रूप में कार्य करने वाली कोई निगमित सत्ता जो वाद चला सकती है और जिसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकता है और जो अधिसूचित कृषि उपज की स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है;
- (थ) "स्मार्ट ट्रेडिंग" से अभिप्रेत है इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से एक्सचेंज द्वारा क्रेता तथा विक्रेता के मध्य निम्नलिखित के अधीन रहते हुए अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार—

- (1) ऐसे समस्त व्यापार जो कि पूर्व निर्धारित तथा प्रदर्शित संविदा विनिर्देशों, जिसमें गुणवत्ता विनिर्देश करते हुए ऐसी गुणवत्ता की कमी तथा वृद्धि पर कटौती एवं बढोतरी आधारित हो;

- (2) ऐसे समस्त व्यापार जो दिन के अंत में आवश्यक रूप से उपज के तौल, सौंपने तथा भुगतान में परिणत होंगे;
- (3) जिसमें अग्रसर व्यापार स्थितियां पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी.
- (द) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित किया गया है.

अध्याय-दो

3. अधिसूचित प्राधिकारी.—(1) राज्य सरकार, विशेष अनुज्ञप्ति देने, नवीकृत करने या देने से इन्कार करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी या अधिकारी अधिसूचित करेगी.

(2) किसी व्यक्ति को, जो धारा 32-क के अधीन एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने का आशय रखता है, अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी से विशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी.

अध्याय-तीन

विशेष अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

4. विशेष अनुज्ञप्ति का दिया जाना.—(1) विशेष अनुज्ञप्ति केवल व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता तथा नियम 2 के खण्ड (त) में यथापरिभाषित एक्सचेंज को प्रदान की जा सकेगी.

(2) विशेष अनुज्ञप्ति, ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये दी जा सकेगी जो किसी वित्तीय वर्ष में अधिसूचित कृषि उपज के निम्नलिखित समूह में से किसी एक या एक से अधिक कृषि उपज का क्रय, उनके समक्ष वर्णित न्यूनतम मात्रा में, समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए, उत्पादकों से करेगा:—

(क)	सब्जी, फल तथा फूल	10,000 मेट्रिक टन
(ख)	मसाले	10,000 मेट्रिक टन
(ग)	तन्तु (कपास आदि)	25,000 गठान
(घ)	तिलहन	50,000 मेट्रिक टन
(ङ)	धान्य तथा दलहन	50,000 मेट्रिक टन
(च)	वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	2,000 मेट्रिक टन :

परन्तु, एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में उपरोक्त वर्णित उपबंध प्रभावशील नहीं होंगे.

5. अनुज्ञप्ति फीस.—विशेष अनुज्ञप्ति के लिये फीस रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख) होगी. अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान, अनुज्ञप्ति देने का विनिश्चय लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा.

6. प्रतिभूति.—(1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुज्ञप्ति देने का विनिश्चय किये जाने के पश्चात् विभिन्न अधिसूचित कृषि उपजों के लिये, समस्त क्रय केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित प्रतिभूति प्रस्तुत की जायेगी:—

(क)	सब्जी, फल तथा फूल	प्रति क्रय केन्द्र रुपये 5 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 50 लाख
(ख)	मसाले	प्रति क्रय केन्द्र रुपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 100 लाख

(ग)	तन्तु (कपास आदि)	प्रति क्रय केन्द्र रुपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 100 लाख
(घ)	तिलहन	प्रति क्रय केन्द्र रुपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 100 लाख
(ङ)	धान्य तथा दलहन	प्रति क्रय केन्द्र रुपये 10 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 100 लाख
(च)	वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	प्रति क्रय केन्द्र रुपये 2 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 20 लाख :

परन्तु, एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में प्रति केन्द्र रुपये 2 लाख किन्तु न्यूनतम रुपये 20 लाख की प्रतिभूति अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी. प्रतिभूति की रकम एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी के रूप में होगी. एफ. डी. आर. बोर्ड के पक्ष में बन्धक (प्लेज) की जायेगी. बैंक गारंटी ऐसे अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गयी होनी चाहिए जिसकी शाखा भोपाल (मध्यप्रदेश) में अवस्थित हो. बैंक गारंटी पूरे पांच वर्ष के लिये होगी. आवेदक द्वारा प्रस्तुत एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी बोर्ड मुख्यालय में रखी जायेगी. तथापि, राज्य सरकार के उपक्रम के लिये एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये विशेष अनुज्ञप्ति को देने के लिये प्रतिभूति की रकम जमा करना आवश्यक नहीं होगा. बशर्ते कि ऐसे उपक्रम के लिये विक्रेताओं को अधिनियम की धारा 37 के उपबन्धों के अधीन उनकी कृषि उपज का भुगतान करना आवश्यक होगा.

(2) आवेदक द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के लिये एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी प्ररूप-चार में प्रतिभूति के प्रमाण-पत्र के साथ अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी.

7. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन.—(1) ऐसा प्रत्येक व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या एक्सचेंज, जो एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में कार्य करने का इच्छुक है, अनुज्ञप्ति के लिये, नियम 3 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को विहित प्ररूप-एक में आवेदन प्रस्तुत करेगा. आवेदन प्ररूप बोर्ड के मुख्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा.

(2) आवेदक, आवेदन प्ररूप के साथ रु. 10,000/- (रुपये दस हजार) की आवेदन फीस के रूप में बोर्ड मुख्यालय में जमा करेगा.

(3) आवेदक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:—

- (एक) रुपये 10,000 के जमा करने की रसीद अथवा उक्त रकम का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक के पक्ष में देय हो;
- (दो) एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु मण्डी क्षेत्रों की सूची, उनका अभिन्यास (ले-आउट), भण्डारण स्थल, गोदाम की क्षमता, कार्यालय का पता तथा प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में पदस्थ समस्त कर्मकारों की पदीय हैसियत के साथ उनके नाम/पिता का नाम;
- (तीन) आवेदक व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या एक्सचेंज तथा उनके भागीदारों का नाम, मण्डी क्षेत्र में उपलब्ध स्थावर सम्पत्ति का ब्यौरा और उससे संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां;
- (चार) पूर्ववर्ती वर्ष के आयकर/वाणिज्यकर के भुगतान संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र, तथा विवरणी (रिटर्न), बैलेंस शीट तथा लेखाओं की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट की छायाप्रति;
- (पांच) बैंक खातों की अनुप्रमाणित छायाप्रति के साथ विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों के बैंक खातों की सूची;
- (छह) अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु उपलब्ध पूंजी से संबंधित जानकारी;
- (सात) प्ररूप-दो में घोषणा-पत्र.

8. विशेष अनुज्ञप्ति दी जाने संबंधी प्रक्रिया.—(1) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों की संबंधित मण्डी समितियों के सचिव से अमांग/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा.

(2) अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे तथा कमियों/त्रुटियों को सात दिन की कालावधि के भीतर लिखित में आवेदक को सूचित किया जायेगा. यदि आवेदन-पत्र में दर्शित कमियों/त्रुटियों का आवेदक द्वारा 15 दिन के भीतर परिशोधन नहीं किया जाता है तो ऐसा आवेदन-पत्र स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी.

(3) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र की संवीक्षा के पश्चात् संबंधित मण्डी समिति के सचिव तथा संभागीय उप संचालक से उल्लेखित मण्डी क्षेत्रों तथा क्रय केन्द्रों की ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाये, की जा सकेगी. अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को विशेष अनुज्ञप्ति के आवेदन-पत्र से किसी मण्डी क्षेत्र अथवा क्रय केन्द्र को हटाने या इसे संशोधित करने की शक्ति होगी.

(4) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी 60 दिन की कालावधि के भीतर प्ररूप-तीन में विशेष अनुज्ञप्ति दे सकेगा या उसे नवीनीकृत कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकृत करने से इंकार कर सकेगा.

(5) विशेष अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार करने की दशा में आवेदन फीस का पचास प्रतिशत राशि काटकर, शेष रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) की रकम 15 दिन के भीतर आवेदक को वापस कर दी जायेगी.

(6) जिस ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यक्षेत्र में जहां मण्डी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण स्थित है, उसकी सीमा से न्यूनतम 3 किलोमीटर के भीतर क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु विशेष अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी तथापि कमजोर या निष्क्रिय मण्डी या उपमण्डी के मामले में और सब्जी, फल तथा फूलों के मामले में भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा:

परन्तु, यह उपबंध एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक को लागू नहीं होंगे. एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामलों में प्रथमतः मण्डी प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा स्थापित करनी होगी.

(7) ऐसे स्थान पर क्रय केन्द्र की स्थापना करने के लिये अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी जो आवेदक के प्रसंस्करण संयंत्र से एक किलोमीटर से कम की दूरी के भीतर स्थित हो तथापि सब्जी, और फल तथा फूलों के मामले में प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर में क्रय केन्द्र की स्थापना हेतु छूट प्राप्त होगी.

(8) इस प्रकार प्रदान की गई विशेष अनुज्ञप्ति, केवल विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में और अनुज्ञप्ति क्रय केन्द्रों पर ही प्रभावी होगी:

परन्तु विशेष अनुज्ञप्तिधारक/व्यापारी द्वारा विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय और वाणिज्यिक संव्यवहार के अधीन अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय, मण्डी क्षेत्र के अन्य अनुज्ञप्तिधारक/व्यापारी के समान ही अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा. उपविधियों में विहित उपबन्ध ऐसे समस्त क्रय, विक्रय तथा प्रसंस्करण के लिये विशेष अनुज्ञप्तिधारक पर समान रूप से लागू होंगे.

(9) विशेष अनुज्ञप्ति के स्वीकृत होने के पश्चात् यदि अनुज्ञप्तिधारक विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अतिरिक्त क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है तो अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी आवश्यक जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् नियम-6 में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्याभूति की रकम की एफ. डी. आर. अथवा बैंक गारंटी प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त क्रय केन्द्र की स्थापना करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करेगा.

(10) यदि अनुज्ञप्तिधारक, विशेष अनुज्ञप्ति दिये जाने की तारीख के छह माह के भीतर किसी विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय प्रारंभ नहीं करता है, तो ऐसे क्रय केन्द्र के संबंध में जारी की गयी विशेष अनुज्ञप्ति स्वयमेव स्वतः शून्य हो जायेगी.

9. प्रतिभूति का निपटारा.—(1) यदि अनुज्ञतिधारक द्वारा विक्रेताओं को उनकी उपर की देय रकम तथा मण्डी समिति को शोध्य अन्य देय रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी से देय भुगतान ब्याज के साथ अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा. एफ. डी. आर. या बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूति निक्षेप की शेष रकम अनुज्ञतिधारक को, उसके द्वारा मांग की जाने पर, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के अधिकारी से अमांग/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वापस की जायेगी.

(2) यदि अनुज्ञतिधारक, उसकी विशेष अनुज्ञति को समर्पित करने की वांछा करता है, तो अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी, उचित जांच के पश्चात् जमा की गई प्रतिभूति रकम का प्रतिसंदाय करने का या प्रतिसंदाय न करने का अंतिम प्रतिसंदाय करने का विनिश्चय कर सकेगा. अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा अनुज्ञतिधारक पर बाध्यकारी होगा.

10. अनुज्ञति की कालावधि.—(1) प्रारंभ में अनन्तिम अनुज्ञति दी जायेगी तथा एक वर्ष की कालावधि के लिये होगी. अनन्तिम अनुज्ञति में यह शर्त होगी कि अनुज्ञतिधारक इस एक वर्ष की कालावधि के दौरान क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सुविधाओं का सृजन करेगा:—

- (एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था
- (चार) पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
- (पांच) शेड की व्यवस्था
- (छह) कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल
- (सात) भुगतान काउन्टर
- (आठ) टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था
- (नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा मानव शक्ति.

(2) एक्सचेंज अनुज्ञतिधारक के मामले में, निम्नानुसार अतिरिक्त अधोसंरचनाएं मण्डी प्रांगण में उपलब्ध कराई जावेंगी:—

- (एक) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म;
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.
- (तीन) सुपर्दगी केन्द्र.

(3) प्रथम वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के दो मास के पूर्व बोर्ड, क्रय केन्द्र के निरीक्षण करने के पश्चात् अनुज्ञतिधारक द्वारा उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में उल्लेखित सुविधाओं को सृजित करने के संबंध में बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा.

(4) अनुज्ञतिधारक द्वारा उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में उल्लेखित सुविधाओं का सृजन कर लेने की स्थिति में उसे आगामी 4 वर्षों के लिये विशेष अनुज्ञति दी जायेगी.

(5) ऐसे अनुज्ञतिधारकों को, जिन्हें मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञति) नियम, 2003 के अधीन विशेष अनुज्ञतियां दी गयी हैं, उन्हें ऐसे क्रय केन्द्रों में उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाओं का सृजन एक वर्ष की कालावधि के भीतर करने की सूचना दी जायेगी. अनुज्ञतिधारकों द्वारा इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर, ऐसी अनुज्ञतियों की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा.

11. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शित किया जाना.—अनुज्ञप्तिधारक, कारबार के मुख्यालय की स्थापना पर अनुज्ञप्ति की मूलप्रति तथा सहयोगी स्थापना और विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर उसकी अनुप्रमाणित छायाप्रति संप्रदर्शित करेगा. इसकी अनुप्रमाणित प्रति विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र को संबंधित मण्डी समिति को भी प्रस्तुत की जायेगी.

12. विशेष अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.—(1) व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या एक्सचेंज जिसे अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु विशेष अनुज्ञप्ति दी गयी है, विशेष अनुज्ञप्ति की कालावधि समाप्त होने के 60 दिन के पूर्व अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को विशेष अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु विहित प्ररूप-एक में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा.

(2) आवेदक, रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) की रकम आवेदन फीस के रूप में बोर्ड मुख्यालय में जमा करेगा या इस रकम का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रबंध संचालक के पक्ष में तैयार करके प्रस्तुत करेगा.

(3) नियम 7 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे.

(4) विशेष अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु, नियम 8 में विनिर्दिष्ट समस्त आवश्यक प्रक्रिया अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा की जाएगी.

(5) विशेष अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् आवेदक द्वारा रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख) की अनुज्ञप्ति फीस बोर्ड मुख्यालय में जमा कराई जायेगी.

(6) विशेष अनुज्ञप्ति के नवीकृत करने के विनिश्चय संबंधी सूचना प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् आवेदक नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप के रूप में एफ. डी. आर. जो प्रबंध संचालक के पक्ष में बन्धक (प्लेज) होगी, या किसी अनुसूचित बैंक में, जिसकी शाखा भोपाल में स्थित हो, द्वारा जारी की गयी बैंक गारंटी प्ररूप-चार के साथ प्रस्तुत करेगा. बैंक गारंटी अनुज्ञप्ति की पूर्ण कालावधि के लिये होगी.

(7) विशेष अनुज्ञप्ति नवीकृत करने के इंकार करने के विनिश्चय की दशा में, आवेदन फीस की 50 प्रतिशत रकम काटकर शेष रु. 5000/- (रुपये पांच हजार) आवेदक को वापस कर दी जाएगी.

(8) विशेष अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण प्ररूप-तीन में किया जायेगा.

13. विशेष अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण.—(1) अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारक:—

- (क) जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है या उसको और से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति कोई भंगकारित करता है या अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों या शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (ख) अन्य अनुज्ञप्तिधारकों के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कृषि उपज का विपणन प्रविरत हो गया है, स्थगित हो गया है या रुक गया है, या
- (ग) दिवालिया हो गया है, या
- (घ) अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन कदाचार के लिये दोषी साबित किया गया है, या
- (ङ) किसी मण्डी समिति, कृषकों, बोर्ड के हितों के विरुद्ध आचरण करता है, या
- (च) नियमों और उपविधियों के अधीन न्यायालय, प्रबंध संचालक या मण्डी समिति द्वारा दोषी साबित किया गया है, या
- (छ) 30 दिन की अधिकतम कालावधि के भीतर देय मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का ब्याज के साथ भुगतान नहीं करता है, या

- (ज) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के किसानों/विक्रेताओं को उनसे क्रय की गयी कृषि उपज का भुगतान विहित कालावधि के भीतर नहीं करता है, या
- (झ) सूचना/मांगपत्र में उल्लिखित कालावधि के भीतर बोर्ड या प्रशासनिक मण्डी समिति के पास देय रकम जमा न करते हुए भुगतान में व्यतिक्रम करता है, या
- (ञ) विहित समय-सीमा के भीतर यथास्थिति बोर्ड या मण्डी समिति के कार्यालय में विहित नियत कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है, या
- (ट) बोर्ड या मण्डी समिति के हितों के विरुद्ध कार्य करता है, या
- (ठ) अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई या हम्माली के लिये अप्राधिकृत व्यक्तियों को लगाता है; या
- (ड) विक्रेता की उपज की तुलाई में वास्तविक मात्रा के कम तौलते हुए पाया गया है तथा उसे हानि पहुंचाता है, या
- (ढ) अधिसूचित कृषि-उपज की यथा अपेक्षित न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय नहीं करता है:

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या रद्द करने के पूर्व, अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का कम से कम पन्द्रह दिन का युक्ति-युक्त अवसर दिया जाएगा. यदि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर कारण बताओ सूचना का जबाव नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारक कारण बताओ सूचना में दर्शित आरोपों से सहमत है और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को एक पक्षीय विनिश्चय करने की शक्ति होगी.

(2) कारण बताओ सूचना का जबाव प्राप्त होने पर, अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा उसकी संवीक्षा की जाएगी. संवीक्षा और व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात्, यदि अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जाती है तो अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द करने का आदेश, कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा पारित किया जायेगा. पारित किये गये आदेश की प्रति समस्त विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों के सचिवों को तथा संभागीय उप संचालक को भी अनुपालन के लिये भेजी जाएगी.

14. अनुज्ञप्ति के इन्कार, नामंजूर या निलंबन की सूचना.—अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीनीकरण करने से, इन्कार करने से संबंधित जानकारी या विशेष अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने से संबंधित जानकारी निम्नलिखित रीति में दी जाएगी:—

- (क) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर, या
- (ख) उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को परिदत्त करके.

अध्याय-चार

अपील

15. अपील.—विशेष अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने या विशेष अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दकरण आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा.

अध्याय-पांच

विशेष अनुज्ञप्ति के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय-क्रय की शर्तें

16. विक्रय-क्रय का स्थान.—विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय-क्रय, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों तथा अनुज्ञप्ति में उल्लिखित विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर ही किया जा सकेगा :

परन्तु विशेष अनुज्ञप्ति के धारक को भी नियम-8 के उप नियम (8) के परन्तुक के उपबन्ध लागू होंगे.

17. करार का निष्पादन.—(1) अनुज्ञप्तिधारक, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिये विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में प्ररूप-पांच में एक करार, हस्ताक्षरित करते हुए निष्पादित करेगा, करार की एक प्रति क्रेता द्वारा प्रतिधारित की जाएगी. एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी और शेष एक प्रति मण्डी समिति के सचिव या उसके द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी को प्रस्तुत की जाएगी.

(2) क्रेता/व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज, करार के निष्पादन के पश्चात् विधि अनुसार प्रमाणित और सत्यापित विद्युत्-तौल-कांटे (इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज) पर विक्रेता की कृषि उपज को तुलवाएगा.

(3) क्रेता द्वारा विक्रेता के पक्ष में प्ररूप-छह में एक विक्रय वाउचर तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा और विक्रेता को उपज के मूल्य का देय भुगतान करते हुए करार के अनुसार उसके हस्ताक्षर अधिप्राप्त किये जाएंगे.

(4) एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारी होने की दशा में खण्ड (1), (2) तथा (3) में उल्लिखित उपबंधों का अनुपालन क्रेता व्यापारी की ओर से एक्सचेंज द्वारा किया जाएगा.

18. भुगतान के संबंध में विक्रेता की शिकायतों का निपटारा.—यदि विशेष अनुज्ञप्ति के धारक और विक्रेता के बीच की गई अधिसूचित कृषि उपज की दर, तौल, मूल्य और/या भुगतान के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, तो संबंधित मण्डी की मण्डी समिति के सचिव को शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तथा इसकी एक प्रति संभागीय उप संचालक को दी जाएगी. सचिव, प्रकरण की समुचित जांच के पश्चात् सात दिन की कालावधि के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा. किन्तु विक्रेता को भुगतान के संबंध में शिकायत होने की दशा में, सचिव तुरन्त कार्रवाई करेगा और प्रबंध संचालक तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को लिखित में तत्काल सूचना देगा.

19. अनुज्ञप्तिधारक का कर्तव्य.—विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर विशेष अनुज्ञप्तिधारक क्रेता व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता अथवा एक्सचेंज—

- (क) अधिसूचित कृषि-उपज के तौलने के लिए अपेक्षा के अनुसार उचित और सही विद्युत्-तौल-कांटा (इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज) स्थापित करेगा. तौल-कांटा (वे ब्रिज) का प्रचालक, मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारक होना चाहिए.
- (ख) अनुज्ञप्ति के प्रथम वर्ष के दौरान नियम-10 में यथा उल्लिखित प्रसुविधाओं का सृजन करेगा.
- (ग) कम से कम 3' x 3' आकार का एक साईन-बोर्ड लगाएगा, जिसमें क्रय केन्द्र का नाम, अनुज्ञप्तिधारी फर्म का नाम, अनुज्ञप्ति क्रमांक और कारबार उल्लिखित किया जाएगा.

20. मण्डी फीस की वसूली और उसका भुगतान.—देय मण्डी फीस का भुगतान, मण्डी समिति के कार्यालय में जमा किया जाएगा और विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा रसीद प्राप्त की जाएगी.

21. अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण, विक्रय और प्रसंस्करण.—विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में प्रत्येक क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का विक्रेता को पूर्ण भुगतान करने और मण्डी समिति को मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ही अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय, प्रसंस्करण या प्रेषण किया जायेगा. अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण करने के लिये विशेष अनुज्ञप्ति के धारक को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (6) के उपबन्धों तथा उपविधियों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा.

22. विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.—(1) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के कारबार से संबंधित नियतकालिक विवरणियां, मण्डी समिति, संभागीय उप संचालक और बोर्ड के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी. अनुज्ञप्तिधारक, प्रबंध संचालक और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा समय समय पर यथा अपेक्षित समस्त अभिलेख और जानकारी प्रस्तुत करेगा.

(2) अनुज्ञापतिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के कारबार से संबंधित पाक्षिक विवरणियां प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव को प्ररूप-सात में प्रस्तुत की जाएगी. मास की पहली तारीख से पन्द्रह तारीख तक की कालावधि की विवरणी मास की पच्चीस तारीख तक, और सोलह तारीख से मास की समाप्ति तक की विवरणी आगामी मास की दस तारीख तक प्रस्तुत की जाएगी. यदि पाक्षिक विवरणी, विहित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो मण्डी समिति, सचिव/उप संचालक द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएंगे. समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर देय मण्डी फीस का भुगतान किए बिना कृषि उपज का विक्रय, प्रेषण और प्रसंस्करण प्रतिषिद्ध रहेगा.

(3) अनुज्ञापतिधारक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पहली अप्रैल से इकतीस मार्च तक के कारबार के पूर्ण ब्यौरे प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक मण्डी समिति के सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे.

(4) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के दैनिक क्रय की विशिष्टियां, अनुज्ञापतिधारक द्वारा, प्ररूप-आठ में एक रजिस्टर में रखे जाएंगे. अनुज्ञापतिधारक, मण्डी समिति द्वारा क्रय केन्द्र पर पदस्थ केन्द्र प्रभारी से रजिस्टर का निरीक्षण करवाएगा, विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र, अन्य मण्डी क्षेत्रों और राज्य से बाहर कृषि उपज का क्रय और उसके ब्यौरे, उपाबन्ध (1) के अनुसार होंगे और उपाबन्ध (2) में यथा उपदर्शित विक्रय/प्रेषण के संबंध में पाक्षिक, विवरणी, यथास्थिति, फर्म के अधिकारी या प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी.

23. निरसन एवम् व्यावृत्तियां.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त "मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञापति) नियम, 2007" तथा इस विषय पर अन्य नियम तथा आदेश, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को निरस्त हो जायेंगे:

परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व दी गयी या नवीकृत की गयी विशेष अनुज्ञापतियां उनकी कालावधि समाप्त होने तक प्रवृत्त रहेंगी तथा तत्पश्चात् उनका नवीकरण इन नियमों के अधीन किया जायेगा.

प्ररूप-एक

(नियम 7 देखिए)

एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में
अनुज्ञापति देने के लिए/अनुज्ञापति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

आवेदन क्रमांक
दिनांक

प्रति,

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

.....
.....

1. आवेदक/फर्म का नाम तथा पता, जो मण्डी क्षेत्रों में कारबार करना चाहता है.
2. आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता
दूरभाष क्रमांक
3. आवेदक व्यक्ति (इंडिविज्यूअल) से भिन्न हो तो फर्म/ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/कम्पनी/सोसाइटी, समस्त कार्यकर्ता/भागीदार/संचालक के नाम एवं पूर्ण पते.

नाम	पिता का नाम	आयु	पता	दूरभाष नं.	पुलिस स्टेशन का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी सोसायटी है तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख.

5. आवेदक व्यापारी है या प्रसंस्करणकर्ता, एक्सचेंज-
(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज)
6. पूर्ववर्ती वर्ष का अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो)
7. आवेदक का वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक टी.आई.एन. क्रमांक तथा केन्द्रीय आबकारी कर रजिस्ट्रकरण क्रमांक
8. आवेदक का आयकर का स्थायी खाता क्रमांक
(पी.ए.एन.) (कृपया छायाप्रति संलग्न करें)
9. मध्यप्रदेश में स्थित उस बैंक का नाम, जिसमें आवेदक का खाता है:

अनुक्रमांक	बैंक तथा ब्रांच का नाम/शाखा	खाते का प्रकार	खाता क्रमांक	बैंक खाते में आवेदन के तारीख को जमा रकम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(कृपया उपलब्ध निधि के प्रमाण के रूप में शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित समस्त बैंक खातों की छायाप्रति संलग्न करें.)

10. आवेदक, फर्म आदि द्वारा मध्यप्रदेश में विनिधान की गई पूंजी (कृपया विवरण दें) :-
11. उन मंडी क्षेत्रों का नाम, जिनमें आवेदक द्वारा कारबार प्रस्तावित है—

अनुक्रमांक	मण्डी क्षेत्र का नाम	संबंधित मण्डी समिति का नाम	मण्डी क्षेत्र में क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा नियम 4(2) देखिए	
(1)	(2)	(3)	कृषि उपज का नाम	वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अनुमानित मात्रा (मेट्रिक टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. यथा उपदर्शित मण्डी क्षेत्रों में आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रय केन्द्रों के नाम—
कृपया अभिन्यास (ले-आउट) संलग्न करें,

अनु. क्र.	दर्शित मंडी क्षेत्र का नाम	दर्शित प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों का क्र. तथा नाम	क्रय केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक का नाम, पता, दूरभाष नं.	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित क्रय केन्द्र पर क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि-उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	कृषि उपज का नाम	अनुमानित मात्रा (मेट्रिक टन में)	(7)

13. आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर सृजित की गई सुविधाओं की जानकारी—
(नियम-10 देखें)

- (क) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
- (ख) पेयजल की व्यवस्था
- (ग) समुचित प्रकाश की व्यवस्था
- (घ) भुगतान काउन्टर/कार्यालय
- (ङ) नमी/कचरा/क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति
- (च) कृषकों के विश्राम हेतु छायादार विश्राम स्थल
- (छ) पुरुष/महिला के लिए शौचालय की सुविधा
- (ज) ट्रेक्टर-ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था
- (झ) शेड की व्यवस्था

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामलों में—

- (एक) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म;
 - (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा;
 - (तीन) सुपुर्दगी केन्द्र.

14. अनुक्रमांक 12 में दर्शाये गये क्रय केन्द्र का अभिन्यास (ले-आउट), उपलब्ध गोदाम की संख्या तथा भंडारण क्षमता-
(सूची संलग्न करें तथा गोदाम के स्वामी के नाम आदि की जानकारी दें):

अनु. क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	उपलब्ध गोदाम	गोदाम का - स्थान	गोदाम के स्वामी का नाम	स्थान/स्थिति	भूमि आदि की विशिष्टियां यदि भूमि उपलब्ध हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

15. अनुक्रमांक 11 और 12 के अनुसार अनुमोदित क्रय केन्द्रों पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा-(सूची संलग्न करें):

अनु. क्र.	मण्डी का नाम	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय की गई कृषि उपज का नाम तथा मात्रा		उपज का मूल्य
			कृषि उपज का नाम	क्रय की गई मात्रा (मेट्रिक टन में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

16. आवेदक फर्म के सभी क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के कारबार के लिए कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्तियों / सेवकों की सूची—

अनु. क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता	दूरभाष क्रमांक	आवंटित कार्य एवं दायित्व (आवंटित कार्य में किसी परिवर्तन की दशा में प्रशासनिक मण्डी समिति को सूचना दी जाएगी)	फर्म कम्पनी/ सोसायटी में स्वामी/ भागीदार/संचालक/ प्रबंधक आदि के रूप में पदीय हैसियत	हस्ताक्षर के नमूने (दो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

17. कम्पनी/फर्म/सोसाइटी के कारबार का प्रमुख स्थान, मुख्यालय, कार्यालय तथा शाखाओं की सूची—

अनु. क्र.	कारबार का मुख्य स्थान	मुख्यालय/ कार्यालय	शाखाओं के नाम/पते	शाखा प्रभारी का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक-कार्यालय/ निवास	कार्यालय प्रमुख का नाम/पता/दूरभाष क्रमांक-कार्यालय/ निवास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

18. क्या आवेदक एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगणों में क्रय करना चाहता है? यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें—

अनु क्र.	मण्डी समिति एवं मण्डी प्रांगण/ उपमण्डी प्रांगण का नाम	मंडी/उप-मण्डी प्रांगण में उपलब्ध गोदाम/दुकान का विवरण
(1)	(2)	(3)

19. क्या आवेदक राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारक है या पूर्व में रहा है? यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें:-

अनु. क्र.	फर्म एवं मंडी समिति का नाम	अनुज्ञप्ति वर्ष	अनुज्ञप्ति का प्रकार (विगत वर्ष के दौरान) क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा एवं मूल्य	भुगतान की गई मण्डी फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

20. (एक) क्या किसी मण्डी समिति द्वारा पिछले पांच वर्षों में अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की गई है?
(दो) क्या मण्डी समिति द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है?
यदि हां, तो कारण दें:-

21. अधिसूचित कृषि उपज के नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति अपेक्षित है.

22. आवेदक द्वारा दर्शित/विनिर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्र पर वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अधिसूचित कृषि-उपज की कुल मात्रा-(अनुमानित) :

अनु. क्र.	मण्डी क्षेत्र का नाम	अधिसूचित कृषि-उपज की प्रस्तावित क्रय मात्रा	
		कृषि-उपज का नाम	क्रय की प्रस्तावित मात्रा (मेट्रिक टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)

23. प्रस्तावित क्रय केन्द्रों की मंडी/उपमण्डी प्रांगण से दूरी:-

अनु. क्र.	मण्डी क्षेत्र का नाम	मण्डी प्रांगण/ उप मण्डी प्रांगण का नाम	प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम	मंडी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण की ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय की सीमा से क्रय केन्द्र की दूरी (कि.मी. में)	प्रसंस्करणकर्ता/व्यापारी, एक्सचेंज आवेदक के प्रसंस्करण संयंत्र से क्रय केन्द्र की दूरी (कि.मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

24. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है. मैं/हम उनका समुचित पालन करूंगा/करेंगे तथा वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं.

निवेदन है कि वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति फीस रुपये तथा प्रतिभूति रुपये स्वीकार कर दर्शित/विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कारबार करने हेतु 01 अप्रैल से 31 मार्च वर्ष के लिए विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें.

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा
(पदीय हैसियत सहित)

घोषणा

मैं/हम, आवेदक, एतद्वारा, निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में प्रस्तुत उपर्युक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है.

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली उचित रूप से पढ़ लिये हैं, उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुए ही अधिसूचित कृषि-उपज का कारबार किया जाएगा.

3. अधिसूचित कृषि उपज का विक्रेताओं को देय भुगतान या मण्डी समिति को देय मण्डी फीस के भुगतान के संबंध में कोई मामला मण्डी समिति अथवा किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है.

4. अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किए जाने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी.

5. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि बोर्ड या मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये आदेशों/निदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा.

6. आवेदक, अनुज्ञप्ति के लिये विहित आवेदन फीस एवं आवेदन-पत्र से संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है.

7. अनुज्ञप्ति का आवेदन-पत्र के अनुमोदन से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के सात दिन के भीतर आवेदक द्वारा विहित अनुज्ञप्ति फीस एवम् प्रतिभूति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.

संलग्न : 1.
2.
3.

स्थान :
दिनांक :

भागीदारों/संचालकों के हस्ताक्षर

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रुपये (शब्दों में) (रुपये) धन रसीद क्रमांक दिनांक के अनुसार, अनुज्ञप्ति फीस के रूप में प्राप्त किये और अनुज्ञप्ति रजिस्टर में अनुक्रमांक पर प्रविष्टि की गई.

(लिपिक)

(लेखापाल)

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखा बहियों का खाते (लेजर) से सत्यापन विनिर्दिष्ट मण्डी समिति द्वारा कर लिया गया है तथा सम्पूर्ण वर्ष के लिये आवेदक द्वारा किये गये क्रयों के मूल्य पर रुपये मण्डी फीस और रुपये निराश्रित शुल्क जमा करा दिया गया है आवेदक ने वित्तीय वर्ष दौरान विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रतिभूति राशि रुपये की सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी है:—

(क) रुपये के लिये सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी क्रमांक
बैंक का नाम

(ख) बैंक गारंटी रुपये बैंक तथा शाखा का नाम
तारीख तक के लिये वैध.

(लेखापाल)

(सहायक लेखाधिकारी)

लेखाधिकारी

3. विशेष अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किये जाने के संबंध में जारी आदेश का क्रमांक /दिनांक
या

स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक

संबंधित सहायक

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्ररूप—दो
(नियम 7 देखिये)

घोषणा-पत्र

1. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेता को धारा 37 की शर्तों के अधीन उसी दिन किया जाएगा.
2. मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि धारा 37 की शर्तों के उल्लंघन की दशा में छठवें दिन, धारा 37 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी और मुझे/हमें या हमारे किसी भी नातेदार को आगामी एक वर्ष तक की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी और ऐसा होने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी.
3. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार दिए गए वचन और अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबंधों का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासनिक मण्डी समिति एवं अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति रद्द करने देने का अधिकार होगा, जिसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी.
4. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे नाम पर आवेदन-पत्र की तारीख को मध्यप्रदेश में निम्नलिखित जंगम/स्थायर संपत्ति उपलब्ध है जिस पर मेरा/हमारा विधिक स्वामित्व है:—

जंगम संपत्ति	बैंक/ब्रांच का नाम	खाता क्रमांक	जमा रकम
(क) चालू (करण्ट) खाते में जमा रकम			
(ख) बचत खाते में जमा रकम			
(ग) सावधि (फिक्सड) में जमा			
(घ) अन्य जमा रकम			
योग . . .			

2. स्थावर संपत्ति	स्थान	क्षेत्रफल	अनुमानित बाजार मूल्य
(क) भूमि			
(ख) भवन/दुकान/कारखाना/गोदाम			
(ग) अन्य संपत्ति			
योग . . .			

3. मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि आवेदन की तारीख को मेरे/हमारे नाम निम्नलिखित जंगम स्थावर सम्पत्ति उपलब्ध है, जिस पर मेरा/हमारा विधिक स्वामित्व है.

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम, पदाभिधान/हैसियत
पूरा पता

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप—तीन
(नियम 8 देखिये)

एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक तारीख

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स पता
को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु
तारीख माह वर्ष को विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तिम रूप से दी जाती है/नवीनीकृत की
जाती है:—

अनु.क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति दी गई है/ नवीनीकृत की गई	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार करने हेतु अनुज्ञप्ति दी गई है	संबंधित मण्डी समिति/समितियों के नाम	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे
यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करें :—

अनु. क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) [नियम 4 (2) देखिए]
(1)	(2)	(3)

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों
पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:—

- (एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) प्रकाश की समुचित व्यवस्था
- (चार) पुरुष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा
- (पांच) शेड की व्यवस्था
- (छह) किसानों के लिये छायादार विश्राम स्थल
- (सात) भुगतान काउन्टर
- (आठ) ट्रैक्टर ट्राली आदि की पार्किंग की व्यवस्था
- (नौ) नमी, कचरा तथा क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में—

- (एक) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म,
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.
- (तीन) सुपुर्दगी केन्द्र.

विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों में से किसी क्रय केन्द्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनन्तिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे क्रय केन्द्र के लिये आगामी वर्षों के लिये नियमित नहीं किया जाएगा.

4. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक से 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी.

5. यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी:—

- (एक) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.
- (दो) मण्डी फीस, अश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.
- (तीन) मण्डी फीस, का अपवंचन करने, जाली अनुज्ञापत्र, रसीदें या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर.
- (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर.
- (पांच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर.
- (छह) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर.
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर.

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता :

कार्यालय की मोहर :

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्ररूप—चार
(नियम 6 देखिये)

प्रतिभूति के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री फर्म/कम्पनी/सोसाइटी निम्नानुसार विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहता/चाहती है और इस प्रयोजन के लिए वह एतद्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को आवेदन कर रहा/रही है:—

क्रमांक
(1)

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति का नाम
(2)

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ दर्शित/विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिए स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न की गई है.

2. अनुज्ञप्ति फीस के मददे में रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) बोर्ड के पक्ष में आहरित का एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक तारीख इसके साथ संलग्न है.

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा रुपये के लिये प्रतिभूति के रूप में बोर्ड के पक्ष में बनाई गई सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.)/बैंक गारंटी क्रमांक तारीख संलग्न है.

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेताओं को उसी दिन नहीं किया जाता है तो मंडी समिति के पक्ष में बनाई गई उपरोक्तानुसार सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.)/बैंक गारंटी से भी विक्रेता को देय राशि का भुगतान करने की शक्ति प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव में निहित होगी.

5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सावधि जमा बैंक गारंटी द्वारा रकम जमा करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा क्रय की जाने वाली कृषि उपज के भुगतान की कोई जोखिम विक्रेताओं की नहीं है.

स्थान :

प्राधिकारी, व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक का नाम

पदनाम/हैसियत

प्ररूप—पांच

(नियम 17 देखिये)

एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु विशेष अनुज्ञप्ति से संबंधित करार प्ररूप

(धारा 37 के साथ पठित उपविधि 25 के उपबंधों के अधीन)

विशेष अनुज्ञप्तिधारक क्रेता व्यापारी/फर्म/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज का नाम

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक करार प्ररूप क्रमांक जारी करने की-तारीख

1. विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम क्रय केन्द्र का नाम

2. विक्रेता का नाम पता

3. कृषि उपज का नाम प्रकार (यदि कोई हो) अनुमानित मात्रा/बोरे/गांठे

4. करार के अनुसार दर/प्रति क्विंटल/गांठ रुपये

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/

एक्सचेंज फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर

नाम

करार प्ररूप में उल्लिखित कृषि उपज का वास्तविक वजन/मात्रा:—

1. स्टफिंग की संख्या 2. बोरे/गांठों की संख्या 3. कुल वजन/मात्रा

(वजन/मात्रा शब्दों में) तुलैया/प्रचालक के हस्ताक्षर

- शर्तें.—(1) करार किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित कृषि उपज के लिये क्रेता क्रय करने हेतु आवद्ध है तथा विक्रेता विक्रय करने हेतु आवद्ध है. क्रेता द्वारा सीधे विक्रेता की कृषि उपज को प्रतिग्रहित करने से इन्कार नहीं किया जायेगा, प्रतिग्रहित करने से इन्कार करने की दशा में उपविधियों के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी. करार का उल्लंघन करने पर क्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द करने के दायित्वधीन होगी.
- (2) करार के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान किया जायेगा. उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन से एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पांच दिन के भीतर विक्रेता को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा.
- (3) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता मण्डी समिति को सूचित करेगा. पांच दिन के पश्चात् शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी.

प्ररूप—छह

[नियम 17 (3) देखिये]

विक्रय वाउचर

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का भुगतान

बुक क्रमांक विक्रय वाउचर क्रमांक जारी करने की तारीख

1. क्रेता का नाम मण्डी क्षेत्र का नाम
क्रय केन्द्र का नाम

2. विक्रेता का नाम पता

3. निष्पादित करार प्ररूप क्रमांक

कृषि उपज का नाम	करार प्ररूप के अनुसार तौल के पश्चात् वास्तविक वजन/मात्रा	करार प्ररूप के अनुसार दर (रु. प्रति . .)	कृषि उपज का मूल्य	विलम्ब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान (रु.)	उपविधियों के अनुसार वसूल की गई हम्माली/तुलाई की राशि (रु.)	विक्रेता को किया गया शुद्ध भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(क्रेता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.)

(विक्रेता के हस्ताक्षर)

नोट.—धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन विक्रेता को उसी दिन भुगतान करना आवश्यक है तथा विलम्ब की स्थिति में धारा 37 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन मूल्य का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा.

प्ररूप-सात

[नियम 22 का उपनियम (2) देखिये]

अधिसूचित कृषि उपज/उपजों का क्रय

अनुज्ञापिधारक फर्म/व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज का नाम अनुज्ञापित क्रमांक
 (प्रतिवेदन की कालावधि तारीख से तारीख तक)

क्र.	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम	कृषि उपज का नाम	पखवाड़े (फोर्टनाइट) का प्रारंभिक स्टॉक	मण्डी प्रांगण/ उपमण्डी प्रांगण से क्रय		मण्डी क्षेत्र के बाहर से अनुज्ञा-पत्र से क्रय		मण्डी क्षेत्र के बाहर से बिलों से क्रय		कुल क्रय (5791113)	विक्रय के लिये उपलब्ध स्टॉक वजन/मात्रा					
				वजन/ मात्रा	मूल्य	वजन/ मात्रा	मूल्य	वजन/ मात्रा	मूल्य							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

वजन/मात्रा जिस पर मण्डी फीस देय है	मूल्य जिस पर मण्डी फीस देय है	भुगतान की गई मण्डी फीस के रूप में क्रय		जमा की गई मण्डी फीस		निर्गमन/उपयोग/विक्रय		पखवाड़े में		पखवाड़े के दौरान शेष स्टॉक वजन/मात्रा	
		वजन/मात्रा जिस पर मण्डी फीस देय है	मूल्य जिस पर मण्डी फीस देय है	रुशि (रुपये)	रसीद क्र. /तारीख	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में/से व्यापारियों को बिलों से विक्रय	प्रसंस्करण/ निर्गमन/ विक्रय हेतु निजी उपयोग	मण्डी क्षेत्र के बाहर अनुज्ञा-पत्रों से विक्रय/ निर्गमन	राज्य के बाहर अनुज्ञा-पत्रों से विक्रय		कुल विक्रय/ निर्गमन वजन/ मात्रा
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

प्रशासनिक मण्डी समिति को विक्रय
वाउचर प्रस्तुत करने की तारीख

(10)

इस वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती दिवस तक
क्रय केन्द्र पर क्रय की गई
कृषि उपज की मात्रा

(11)

इस वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती दिवस तक
क्रय केन्द्र पर क्रय की गई
कृषि उपज का मूल्य

(12)

प्रबंधक/क्रय केन्द्र के प्रभारी हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/हैसियत

उपाबंध-1

(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज का नाम)

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में, अन्य मण्डी क्षेत्र एवं राज्य के बाहर से अधिसूचित कृषि उपज/उपजों का क्रय
(पाक्षिक रिपोर्ट-प्ररूप-छह के कॉलम 2, 3, 4, 5 के संबंध में)

अनु. क्रमांक	क्रय की गई कृषि उपज का नाम	क्रय की गई मात्रा/वजन	उपज का मूल्य	विक्रेता व्यापारी का नाम, जिसने उपज का विक्रय किया	स्थान	बिल/ अनुज्ञा-पत्र क्रमांक-	बिल/ अनुज्ञा-पत्र की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी व्यापारी फर्म के लेखाओं तथा दस्तावेजों पर आधारित है और सही है.

तारीख

व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज का नाम)

विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र से अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय/निर्गमन के संबंध में पाक्षिक विवरणी

(कॉलम 5, 7, 9, 11 एवं 13 के विक्रय/निर्गमन के संदर्भ में)

अनु. क्रमांक	कृषि उपज का नाम	क्रेता व्यापारी का नाम, जिसको उपज का विक्रय किया गया	स्थान	जारी किये गये बिल का क्रमांक	दिनांक	उपज की मात्रा	उपज का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी व्यापारी फर्म के पास उपलब्ध लेखाओं तथा दस्तावेजों पर आधारित है और सही है.

तारीख

व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज प्रतिनिधि के

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2009

क्र. डी-15-33-2007-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2009 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd March 2009

D-15-33-2007-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 read with Section 32-A of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby makes the following rules, the same have been previously published as required by sub-section (1) of Section 79, namely:—

RULES

CHAPTER-I

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Special License for more than one market area) Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of publication of the Notification in the official Gazette.

2. **Definitions.**-In these rules unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973);
- (b) "Board" means the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board, established under the Act;
- (c) "Section" means a section under the Act;
- (d) "Director" means the Director and includes the "Managing Director" of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act;
- (e) "Additional Director" means Additional Director of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act;
- (f) "Deputy Director" means Deputy Director of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act;
- (g) "Notified authority or officer" means such authority or officer as may be notified by the State Government to grant or renew the special licence under the Act;
- (h) "Commercial transaction" means any transaction made by traders for sale, purchase, processing for ancillary sale, purchase or storage or sale to consumers of agricultural produce within the market yard or out of market yard, within the market area or out of market area, within the state or out of the State, in which the payment of market fees has already been made to any market committee of the State and information pertaining to payment of market fees has been submitted to concerned market committee in prescribed form;
- (i) "Form" means a form appended to these rules;
- (j) "Misconduct" means willfully not to receive or refuse to receive information sent by State Government, Managing Director, Collector or authorized officer Deputy Director, Market Committee or disobey the order/direction issued by Board, Managing Director or the authorized officer, market committee or non-submission of required information in the time limit or submission of incomplete or incorrect information;

- (k) "Specified Market Area" means such area of the market committee which has been declared for business of notified agricultural produce for the licence holder under Section 32-A;
- (l) "Specified Purchase Centre" means the purchase centre established by the licence holder in the specified market area for the business of the notified agricultural produce and in case licence holder is an exchange it shall include the facility of an electronic exchange in a market yard.
- (m) "Special Licence" means the licence issued by the notified authority or officer under sub-section (2) of Section 32-A for the business of notified agricultural produce;
- (n) "Centre Incharge" means the Secretary of the administrative market committee or the officer/employee posted by the Deputy Director, for proper regulation and control of notified agricultural produce at the purchase centre of specified market area;
- (o) "Administrative Market Committee" means the market committee constituted under Section 11 which has been vested with full power to control the marketing of agricultural produce in the declared specified market area for special licence holder market functionary under Section 32-A.
- (p) "Exchange" means a corporate entity which can sue and be sued acting as a Commission Agent as defined in Clause (e) of section 2 of the Act, which provides an electronic trading platform for spot trading of notified agricultural produce.
- (q) "Spot Trading" means trade in notified agricultural produce between seller and buyer, by an exchange, using an electronic platform, subject to the following conditions—
- (1) All such trade shall be based on pre-defined and displayed contract specifications, specifying the quality parameters, including discount and premium for variation in such parameters.
 - (2) All such trade at the end of the day shall result into compulsory weightment, delivery and payment of the produce.
 - (3) No carry forward of positions shall be permitted.
- (r) The words and expression used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

CHAPTER- II

3. **Notified Authority.**—(1) The State Government shall notify the Authority or Officer for the purpose of granting, renewing or refusing to grant the special licence.

(2) The person, who intends to do business of notified agricultural produce in more than one market area under Section 32-A, will have to obtain special licence from notified authority/officer.

CHAPTER - III

ISSUE OF SPECIAL LICENCE

4. **Grant of Special Licence.**—(1) The special licence may be granted to trader, processor and an exchange as defined in clause (p) of rule 2.

(2) Special licence may be granted to such person for carrying out the business of notified agricultural produce in more than one market area, who in a financial year shall purchase one or more than one agricultural produce out of the following groups of notified agricultural produce in the minimum quantity mentioned against them from producers including all the purchase centres:—

(a)	Vegetable, fruits and flowers	10,000 metric ton
(b)	Spices	10,000 metric ton
(c)	Fibres (cotton etc.)	25,000 bales
(d)	Oil seeds	50,000 metric ton

(e)	Cereals and pulses	50,000 metric ton
(f)	Forest produce and agriculture medicinal produce.	2,000 metric ton.

Provided that in case of an exchange the above mentioned provisions shall not apply.

5. **Licence Fees.**—The fee for special licence shall be Rupees 2,00,000/- (Rupees two lakhs). The licence fee shall be payable after decision has been taken to grant the licence.

6. **Security.**—(1) After the decision to grant the licence has been taken, for various notified agricultural produce, including all purchase centres, following security shall be submitted by licensee ;

(a)	Vegetable, fruits and flowers	Rs. 5 lakh per purchase centre but minimum Rs. 50 lakh
(b)	Spices	Rs. 10 lakh per purchase centre but minimum Rs.100 lakh
(c)	Fibres (cotton etc.)	Rs. 10 lakh per purchase centre but minimum Rs. 100 lakh
(d)	Oilseeds	Rs. 10 lakh per purchase centre but minimum Rs. 100 lakh
(e)	Cereals and pulses	Rs. 10 lakh per purchase centre but minimum Rs. 100 lakh
(f)	Forest produce and agriculture medicinal produce.	Rs. 2 lakh per purchase centre but minimum Rs. 20 lakh

In case of licensee being an exchange, security of Rs 2 lakh per purchase centre, but minimum Rs 20 lakh, shall be submitted by licensee.

The amount of security shall be in the form of Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee. Fixed Deposit Receipt shall be pledged in favour of Board. The Bank Guarantee must have to be issued by such Scheduled Bank whose branch should be located at Bhopal (Madhya Pradesh). The bank guarantee shall be for full five years. The Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee furnished by the applicant shall be kept at the Board headquarter. However, it shall not be necessary, for the undertaking of the State Government, to deposit the security amount for grant of special licence for carrying out the business of notified Agricultural produce in more than one market area, provided that it will be necessary for such undertaking to make payment to sellers of their agricultural produce under the provisions of Section 37 of the Act.

(2) The applicant shall have to furnish with Fixed Deposit receipt or Bank Guarantee towards security deposit to the notified authority/officer along with certificate of security in Form-IV.

7. **Application for Licence.**—(1) Every trader, processor or an exchange who wishes to operate in more than one market area shall submit an application for licence to the notified authority/officer authorized under rule-3 in the specified Form-I. The application form shall be made available by the Board headquarter without any charge.

(2) The applicant shall deposit in the Board headquarter an amount of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) towards application fee, along with application form.

(3) It shall be necessary for the applicant to enclose following documents along with the application:—

- (i) The receipt towards deposit of Rs. 10,000/- or crossed Bank Draft of above amount drawn in favour of the Managing Director.
- (ii) The list of the market areas for purchase of notified agricultural produce in more than one market area. their layout, storage site, capacity of godown, address of office and the name/father's name of all the workers posted in every market area along with their official capacity.
- (iii) Name of the applicant trader, processor or an exchange and their partners, particulars of immovable property available in the market areas and the attested photocopies of the documents related thereto.

- (iv) Certificate of the competent authority regarding payment of income tax/commercial tax of previous year and photocopies of the returns, balance sheet and audit reports of the accounts by the Chartered Accountant.
- (v) List of Bank Accounts in the specified market areas along with attested photocopies of the Bank Accounts.
- (vi) The information pertaining to available capital for carrying out the business of notified agricultural produce.
- (vii) Declaration in form-II.

8. **Procedure regarding grant of special Licence.**-(1) The Board shall obtain no dues/no objection certificate from the secretary of the concerned market committee of specified market areas.

(2) Incomplete applications shall not be accepted and the shortcomings or defects will be informed to the applicant in writing within a period of seven days. If the shortcomings or defects shown in the application are not rectified by the applicant within a period of fifteen days, such application will automatically stand rejected and no further action will be taken by the notified authority/officer.

(3) After scrutiny of the application received for special licence by the notified authority/officer, such enquiry may be made, as is deemed necessary regarding mentioned market areas and purchase centres from secretary of concerned market committee and Divisional Deputy Director. The notified authority or officer shall have power to delete or amend any market area or purchase centre from the application of special licence.

(4) The notified authority/officer may grant or renew the special licence in Form-III within the period of 60 days or may refuse to grant or renew the licence for the reasons to be recorded in writing.

(5) In the event of refusal to grant or renew the special licence, after retaining fifty percent amount of application fee, received along with application, remaining amount of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) shall be refunded to the applicant within the period of 15 days.

(6) The special licence shall not be granted for establishing the purchase centre within the minimum distance of three kilometer from the limit of Gram Panchayat or Urban body where market yard or sub-market yard is situated, however this restriction shall not be applicable in case of weak or non-functional market or sub-market and also in case of vegetable, fruits and flowers.:

Provided that this provision shall not be applicable to an exchange. In case of an exchange electronic trading facility shall be established in the market yard primarily.

(7) No special licence will be granted for establishing the purchase centre in a place, which is located within a distance of less than one kilometer from the processing plant owned by the applicant, however, in case of vegetable, fruits and flowers, there will be relaxation to establish the purchase centre within the premises of processing plant.

(8) Special licence so granted shall be effective only in the specified market areas and on purchase centres specified in the licence:

Provided that the purchase of notified agricultural produce in the market/sub-market yards of the specified market area by the special licence holder/ trader and the purchase-sale of notified agricultural produce under the commercial transaction may be made, like other licence holder trader of the market, under the provisions of the Act, rules and byelaws. The provisions prescribed in the bye-laws, shall be equally applicable on the holder of special licence for all such purchase, sale, processing.

(9) On submission of application by licence holder after grant of special licence, for establishing additional purchase centre in the specified market area, the notified authority/officer, after carrying out necessary enquiry, as he deems essential, will grant permission to establish additional purchase centre after getting deposited the fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee towards security amount as specified in Rule-6.

(10) If licence holder does not start the purchase of notified agricultural produce in any specified purchase centre within six months from the date of grant of special licence, the special licence issued for such purchase centre shall automatically become void.

9. Disposal of Security.—(1) The amount due to the sellers for their produce and other amount due to the market committee if not paid by the licence holder, shall be recovered together with the interest by the notified authority/officer from the Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee furnished as security. The remaining amount of security deposit in the form of Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee shall be released if demanded by the licence holder, after obtaining no demand/no dues certificate from the secretary of specified market area.

(2) If the licence holder desires to surrender his special licence, then the notified authority/officer after proper enquiry, may take decision to refund or not to refund or to refund partly, the security amount deposited. The decision of the notified authority/officer shall be final and be binding upon the licence holder.

10. Period of licence.— (1) Initially the licence shall be interim and shall be for the period of one year. In the interim licence, there shall be condition that during this period of one year, the licence holder shall create following facilities at the purchase centre,—

- (i) Electronic weigh bridge
- (ii) Suitable arrangement of drinking water
- (iii) Suitable arrangement of light
- (iv) Toilet facility for male/female
- (v) Arrangement for shed
- (vi) Shady-resting place for farmers
- (vii) Payment counter
- (viii) Suitable arrangement for parking of tractor-trolley
- (ix) Essential apparatus and trained manpower for determining the percentage of moisture, foreign material and damaged grains.

(1-A) In case of an exchange following additional infrastructure shall be provided in the yard by the licensee;

- (i) Electronic trading platform;
- (ii) Fully equipped grading, quality testing and certification facility;
- (iii) Delivery centre.

(2) Two months prior to the expiry of period of first year, the Board shall after visiting the purchase centre shall submit a report to the Board regarding creation of facilities by the licence holder as specified in sub-rule (1) and sub-rule-(1) (A).

(3) In the event of having created the facilities as specified in sub-rule (1) and sub-rule (1) (A) by the licence holder, the regular special licence for further four years shall be granted.

(4) The licence holders, who have been granted special licence under Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than one market areas), Rules 2003, shall be given information to create the facilities as specified in sub-rule (1) and sub-rule (1) (A) in such purchase centres within a period of one year. On failure by the licence holders to comply with this directive, renewal of licences shall not be done after expiry of the period of such licence.

11. Display of Licences.—The licence holder shall display the original copy of the licence at the establishment of headquarter of the business and attested photocopy thereof at the associated establishment and purchase centre of the specified market area. The attested photocopy of it shall also be submitted to the concerned market committee of the specified market area.

12. Renewal of Special Licence.—(1) Trader, processor or an exchange who have been granted special licence by the notified authority/officer for carrying out the business of notified agricultural produce, in more than one market area, shall make application in prescribed Form-I to the notified authority/officer for renewal of special licence, 60 days prior to its expiry.

(2) The applicant shall deposit an amount of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand) as application fee, in the office of the Board headquarter or shall furnish a crossed bank draft of this amount prepared in favour of the Managing Director.

(3) All documents specified in sub-rule (3) Rule-7, shall be enclosed along with the application by the applicant.

(4) For renewal of special licence, all the necessary procedures specified in Rule-8, shall be carried out by the notified authority/officer.

(5) Immediately after receiving the information regarding decision to renew the special licence, the licence fee of Rs. 2,00,000/- (Rupees two lacs) shall be deposited by the applicant in Board headquarter.

(6) Immediately after receiving the information regarding decision to renew the special licence the applicant shall furnish security deposit as specified in Rule-6 in the shape of F.D.R. pledged in favour of the Managing Director or the Bank Guarantee issued by a Scheduled Bank whose branch is located at Bhopal alongwith Form-IV. The Bank Guarantee shall be for entire licence period.

(7) In the event of decision to refuse to renew the special licence, after retaining fifty percent amount of application fee, remaining amount of Rs 5,000/- (Rupees five thousand) shall be refunded to the applicant.

(8) The renewal of special licence shall be done in Form-III.

13. Suspension or Cancellation of Special licence.—(a) The special licence may be suspended or cancelled by the notified authority or officer, if the licence holder:—

(a) has obtained licence through willful misrepresentation or fraud or any person acting on his behalf, commits a breach or contravence any of the terms or condition of the licence; or

(b) in collusion with other licence holders committing any act by which the marketing of any produce has been abstained, suspended or stopped; or

(c) has become insolvent; or

(d) has been proved guilty for misconduct under the Act, rules and bye-laws; or

- (e) behaves against the interest of any market committee, farmers, Board; or
- (f) has been proved guilty by the Court, Managing Director or the market committee under the rules and by-laws; or
- (g) has not made payment of due market fees, *Nirashrit Shulk* within the maximum period of 30 days together with the interest; or
- (h) has not made payment to the farmers/sellers of the specified market area of the agricultural produce, purchased from them within the prescribed period; or
- (i) has made default in payment by not depositing due amount with the Board or administrative market committee within the period mentioned in the notice/demand note; or
- (j) has not submitted prescribed periodical returns in the Board or office of the administrative market committee, as the case may be within the prescribed time limit; or
- (k) has acted against the interests of the Board or the market committee; or "
- (l) has engaged unauthorized " persons for weighment or hammali of notified agricultural produce; or
- (m) has been found involved in weighing the seller's agricultural produce less than the actual weight and causing loss to him; or
- (n) has not purchased minimum prescribed quantity of notified agricultural produce as required:

Provided that before suspending or cancelling any licence reasonable opportunity of minimum fifteen days of being heard shall be given to the licence holder by the notified authority or officer. If within - the prescribed time limit the reply of the show-cause notice is not given by the licence holder it shall be deemed that the licence holder has agreed with the charges shown in show-cause notice and the notified authority/officer shall have the power to take the exparte decision.

(2) On receipt of the reply of show-cause notice, it shall be scrutinized by the notified authority/officer. After scrutiny and personal hearing, if licence is suspended or cancelled then the order to suspend/ cancel the licence shall be passed by the notified authority or officer by the recording the reasons clearly in writing. The copy of the order passed shall be sent to the secretaries of all the specified market areas and also to the divisional Deputy Director for compliance.

14. Information of refusal, rejection or suspension of licence.—The information relating to the order to refuse to grant/renew the special licence or information relating to suspension or cancellation of special licence shall be given to the concerned person/firm/company/society, by the notified authority/ officer in the following manner:—

- (a) by registered post to his registered office; or
- (b) by delivery to his authorized representative.

CHAPTER-IV

APPEAL

15. **Appeal.**— Any person aggrieved by order of refusal to grant special licence or suspension/cancellation of special licence, may prefer an appeal to the State Government within 30 days from the date of receipt order and the order passed by the State Government, after giving reasonable opportunity of being heard, shall be final.

CHAPTER- V

CONDITIONS OF SALE-PURCHASES OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE UNDER SPECIAL LICENCE

16. **Place of Sale-Purchase.**—Sale, purchase of notified agricultural produce may be made by the holder of the special licence only in the market areas specified in the licence and in the market/sub market yards and at the purchase centres specified in the licence provided that provisions of proviso to sub-rule (8) of rule 8 shall be applicable on the holder of special licence also.

17. **Execution of Agreement.**—(1) The licence holder shall execute, by signing an agreement in Form-V in triplicate in favour of the seller for the purchase of notified agricultural produce at the purchase centre in the specified market area. One copy of the agreement shall be retained by the purchaser, one copy shall be given to the seller and remaining one copy shall be submitted to the secretary of the market committee or the centre incharge posted by him.

(2) After execution of agreement, the trader/processor/exchange shall get the agricultural produce of the seller, weighed on the electronic weigh-bridge certified and verified by the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection.

(3) The sale voucher in triplicate shall be prepared by the purchaser in Form-VI in favour of the seller and by making due payment of value of the produce to the seller, his signature shall be obtained as per the agreement.

(4) In case of licence holder an exchange, provision mentioned in clause (1), (2) and (3) shall be complied with, by the exchange on behalf of trader purchaser.

18. **Disposal of complaints of seller regarding payment.**—If any dispute arises between the holder of the special licence and the seller regarding rates, weight, value and or payment of purchased notified agricultural produce, then a complaint shall be submitted to the secretary of the market committee of the concerned market and its copy shall be given to the Divisional Deputy Director. After proper enquiry of the case, the secretary shall dispose off the complaint within the period of seven days, but in case complaint pertains to the payment of seller, the secretary shall immediately take action and inform forthwith to the Managing Director and the notified authority/officer in writing.

19. **Duty of the licence holder.**—The purchaser trader, processor or an exchange holding special licence, at the purchase centres of the specified market area, shall:—

- (a) establish proper and correct electronic weight-bridge as per requirement for the weighing of notified agricultural produce. The operator of the weighbridge should be licence holder of the market committee.

(b) shall create the facilities as mentioned in rule-10 during the first year of the licence.

(c) fix at least a 3' x 3' size signboard in which the name of purchase centre, name of the licence holder firm, licence number and business shall be mentioned.

20. Recovery of market fees and its payment.—The payment of the due market fees, shall be deposited in the office of the market committee and receipt shall be obtained by the holder of the special licence, on the purchase of every notified agricultural produce in the specified market areas.

21. Despatch, sale, processing of notified agricultural produce—Only after making full payment of the value of notified agricultural produce purchased at every purchase centre in the specified market areas, to the seller and making payment of market fees and Nirashrit Shulk to the market committee, the sale, processing or despatch of notified agricultural produce shall be made by the licence holder. For despatch of the agricultural produce the holder of the special licence shall have to obtain permit issued by the market committee as per provisions of sub-section (6) of Section 19 of the Act.

22. Submission of returns by the holder of special licence.—(1) Periodical returns pertaining to the business of notified agricultural produce, purchased in the specified market areas, shall be submitted by the licence holder in the office of market committee, Divisional Deputy Director and the Board. The licence holder shall submit all records and information, required by the Managing Director and notified authority/officer from time to time.

(2) The fortnightly returns regarding business of notified agricultural produce shall be submitted by the licence holder to the secretary of the administrative market committee in Form-VII. Return for the period from first to fifteenth day shall be submitted upto twenty-fifth day of the month and return for the period from sixteenth to the end of the month shall be submitted by tenth day of the next month. If for nighty return is not submitted in the prescribed time limit, then the permits shall not be issued by the centre in-charge, posted by the secretary of the market committee/Deputy Director. Without making payment of the due market fees on purchase of all notified agricultural produce, the sale, despatch and processing of agricultural produce, shall be prohibited.

(3) On the end of every financial year complete details of business from first April to Thirty-first March, shall be submitted by the licence holder to the secretary of the market committee upto 30th April, every year.

(4) The particulars of daily purchases of the notified agricultural produce at purchase centre of the specified market area, shall be maintained by the licence holder in a register in Form-VIII. The licence holder shall get the register inspected by the centre incharge posted at the purchase centre by the market committee. The purchase of agricultural produce in the specified market area other market areas and from outside the state and details thereof shall be according to Annexure (1) and the fortnightly return regarding sale/despatch as indicated in Annexure (2) shall be signed by the officer or representative of the firm as the case may be.

23. Repeal and savings.— 'The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (special licence for more than one market area) Rules, 2007', and all the other rules and orders on this subject, in force immediately prior to the commencement of these rules shall stand repealed as from the date of commencement of these rules :

Provided that special licence granted or renewed prior to the commencement of these rules, shall remain in force till the expiry of their duration and thereafter their renewal shall be done under these rules.

FORM-1
(See Rule 7)

APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF LICENCE FOR
MORE THAN ONE MARKET AREAS

Application No.
Date

To,

The Notified Authority/Officer

1. Name of the applicant/firm, address, who/which desires to do business in market areas. :
2. Name of the applicant, father's name and full address, Telephone No. :
3. The applicant is other than the individual, then name and address of the firm/Hindu Undivided Family/ Company/Society, name of all the workers/partners! directors and full address. :

Name (1)	Father's name (2)	Age (3)	Address (4)	Telephone No. (5)	Name Police Station (6)
-------------	----------------------	------------	----------------	----------------------	----------------------------

4. If the applicant firm is a company or is a Co-operative society then registration No. and date. :
5. Applicant is a trader, processor, exchange (Trader/Processor/Exchange) :
6. Previous year's licence No. (if any) :
7. Applicant's V. A. T, T. I. N. and Central Excise Registration No. :
8. Applicant's Permanent Account No. (PAN) of Income Tax (please enclose photocopy). :
9. The name of the Bank located in Madhya Pradesh where applicant has account. :

S. No.	Name of the Bank/Branch	Type of Account	Account No.	On the date of application deposit amount in the bank	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Please enclose photocopy of all the Bank Accounts verified by the Branch Manager as a proof of available fund)

10. Capital invested by the applicant, firm etc.,
in Madhya Pradesh (Please give details).

Name of the market areas where business
is proposed by the applicant.

S. No.	Name of the Market area	Name of the concerned market committee	Name and estimated quantity of notified agricultural produce proposed to be purchased in the market area [See Rule 4(2)]	
			Name of agricultural produce	Estimated quantity to be purchased in a financial year (Metric Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Name of the purchase centres proposed
by the applicant in the shown market area
(please enclose the layout)

S. No.	Name of the Market shown	No. and name of the proposed purchase centres in every market area shown	Name of the purchase centre incharge/manager, address and telephone No.	Name and estimated quantity of agricultural produce proposed to be purchased at the proposed purchase centre in a financial year.		Remarks
				Name of agricultural produce	Estimated quantity (Metric Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Information of facilities created at the
purchase centre by the applicant
(See Rule 10),—

- (a) Electronic weigh bridge
- (b) Arrangement of drinking water
- (c) Arrangement of proper light
- (d) Payment counter/office
- (e) Essential apparatus and trained
manpower to determine the percentage
of moisture, foreign material and
damaged grains.
- (f) Shady resting place for farmers

- (g) Toilet facility for male/female
 (h) Suitable arrangement for parking of tractor trolleys.
 (i) Arrangement of shed.

In case of an exchange.—

- (a) Electronic trading platform
 (b) Fully equipped grading, quality testing and certification facility.
 (c) Delivery centre.

14. Layout of purchase centres shown in S. No. 12, No. of godown available and storage capacity (please enclose list and give information of the name etc. of the owner of the godown).

S. No.	Name of the purchase centre	Available Godown	Place of the Godown	Name of the owner of the Godown	Place/ Position	Particulars of the land etc, if the land is available
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

15. Quantity of notified agricultural produce purchased during previous year at the approved purchase centre as per S. No. 11 and 12 (enclose the list).

S. No.	Name of the Market	Name of the Purchase centre	Name and quantity of the agricultural produce Purchased.		Value of the Produce
			Name of agricultural produce	Quantity Purchased (Metric Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

16. List of the persons/servants authorized to work for the business of notified agricultural produce at all the purchase centres from the applicant firm.

S. No.	Name	Father's name	Address	Tel. No	Allotted work and responsibility (in case of any change in the allotted work manager etc. the information will be given to the administrative market committee)	Designation /capacity in the firm/ company/partner/ Director/society as owner/ Manager etc.	Specimen signature (Two)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

17. List of the main places of business, head office, main office and branches of the Company/Firm/Society:

S. No.	Main place of Business	Headquarter Office	Name/Address of Branches	Name of Branch incharge, address Tel. Nos. office/ residence	Name of head of office address/ Tel. Nos. of office/ residence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

18. Does the applicant wish to purchase in the specified market yard/sub-market yard of more than one market areas? If yes, then give following information:

S. No.	Name of the market committee and the market yard/sub-market yard	Particulars of godown/shop available in market/sub-market yard
(1)	(2)	(3)

19. Is the applicant a licence holder or has been a licence holder in the past of any of the market committees of the state? If yes, then give following details :

S. No.	Name of the firm and the market committee	Licence Year	Type of the Licence	Quantity and value of the notified agricultural produce purchased during last year	Market Fee paid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

20. (1) Has the licence been suspended/ cancelled during the past five years by market committee?

(2) Has any penalty been imposed by market committee? If yes, give reasons.

21. Name of the notified agricultural produce for whose business, licence is required.

22. Total (estimated) quantity of notified agricultural produce to be purchased in a financial year at every centre shown/ specified by the applicant.

S. No.	Name of the market area	Quantity of notified agricultural produce proposed to be purchased	
		Name of agricultural produce	Quantity proposed to be purchased (in Metric Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)

23. Distance of proposed purchase centres from market/sub-market yard :

S. No.	Name of Market Area	Name of the market yard sub-market yard	Name of proposed purchase centre	Distance of purchase centre from the limit of Gram Panchayat/Urban body of market yard/sub-market yard (in kilometer)	Distance of purchase centre from the processing plant owned by the processor/trader/exchange applicant (in kilometer)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

24. I/We declare that I/we have read and understood the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, rules and bye-laws framed thereunder. I/We will fully comply with them and they will be acceptable to me/us.

It is requested that by accepting licence fee amounting to Rsand security Rsfor the years special licence for doing business in the shown/specified market area may kindly be provided for the year 1st April to 31st March

Place :

Date:

Signature of the Applicant and seal
(including designated capacity)

DECLARATION

- I/We the applicant hereby solemnly declare that the information submitted above in the application is true to the best of my knowledge and belief and has correctly been recorded and no information is concealed.
- The applicant has properly read the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, rules, bye-laws and manual. The business of notified agricultural produce will be undertaken by complying the arrangements provided in them.
- No case is pending before market committee or any court pertaining to the payment of notified agricultural produce due to the sellers or market fee due to market committee.
- Licence provided to the applicant will be liable to be suspended or cancelled on contravention of the arrangements provided in the Act, rules, Bye-laws and manual.
- The applicant assures that the orders/directions issued by the Board or the market committee will be fully complied with.
- The applicant is submitting the prescribed application fee and documents enclosed with the application for licence.
- The specified licence fee and security shall be furnished in your office within seven days from the date of receipt of information regarding approval of application of licence,

Enclosure: 1 ..
2 ..
3 ..

Place :

Date :

Signature of Partners/Director

For office use only

1. Received total Rupees (in words) (Rupees)
as licence fee as per the Money Receipt No dated and entered in Licence Register at
Serial No

(Clerk)

(Accountant)

2. The verification of account books produced by the applicant has been done with the Ledger produced by the specified market committee and the market fees Rupees and *Nirashrit Shulk* Rupees has been got deposited on the value of purchases made by the applicant for the whole year.

The applicant has furnished the security amount of Rupees in the form of FDR/Bank Guarantee as per following details for carrying out the business of notified agricultural produce in the specified market area during the year.

(a) FDR No Date Name of the Bank and Branch for Rupees

(b) Bank Guarantee for Rupees Name of Bank and Branch valid upto (date).

(Accountant)

(Assistant Accounts Officer)

(Accounts Officer)

3. No/Date of the order issued regarding rejection of special licence.

or

in case of grant, Licence No.

(Dealing Assistant)

(Notified Authority/Officer)

FORM-II
(See Rule-7)

DECLARATION

1. I/We undertake that the full payment of the notified agricultural produce, purchased by me/us at the purchase centre will be made on the same day under the condition of Section 37.

2. I/We also undertake that in the event of contravention of conditions of Section 37, on the sixth day my/our licence will automatically stand cancelled under clause (c) of sub-section (2) of Section 37 and for next one year no licence will be granted to me/us or to any of my/our relatives under this Act and on being so, I/We will have no objection.

3. I/We undertake that incase the undertaking given as above and the provisions of the Act, rules and the bye-laws are contravened by me/us, then the administrative market committee and the notified authority/officer, will have power to cancel my/our licence in which I/we will not have any objection.

4. I/We also declare that on the date of application, following movable/immovable property is available in Madhya Pradesh on my/our name on which my/our ownership is legal :—

1.	Movable Property	Name of the Bank and Branch	Account Number	Deposit Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(a) Deposit amount in current Account

(b) Deposit amount in Saving Account.

(c) Amount in Fixed Deposit

(d) Other deposit amount

Total . . .

2.	Immovable Property (1)	Place (2)	Area (3)	Estimated market value (4)
	(a) Land			
	(b) Building/Shop/Factory/Godown			
	(c) Other property			

3. I/We hereby declare that on the date of application, following movable-immovable property is available on my/our name on which my/our ownership is legal.

Place :

Date :

Signature of Authorized person
Name of the applicant
Designation/Capacity Full Address.

OFFICE OF THE NOTIFIED AUTHORITY/OFFICER MADHYA PRADESH STATE AGRICULTURAL
MARKETING BOARD 26, ARERA HILLS, BHOPAL

FORM-III

(See Rule 8)

SPECIAL LICENCE FOR BUSINESS OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE IN MORE THAN ONE
MARKET AREA

Licence No. Date

1. The provisional/regular special licence is granted/renewed on day Month to
Shri/Smt./Ku./Miss for carrying out the business of notified agricultural
produce more than one market area, as noted below, under Section 32-A of the Act :—

S.No.	Name of notified agricultural produce for whose business special licence is granted/ renewed	Name of the specified market areas for which special licence is granted for business	Name of the concerned market committee/ committees	Name of the approved purchase centres under the specified market area	Place of the business Address of the office	Name Designation and address of the head of office
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. It will be compulsory for the licence holder under this licence to purchase the following notified agricultural
produce in the minimum quantity as noted below inclusive of all the purchase centres in a financial year :—

S. No.	Name of notified agricultural produce	Minimum quantity to be purchase in a financial year (in Metric Tone) [See Rule 4 (2)]
(1)	(2)	(3)

3. The licensee will create following facilities at each specified purchase centre within period of one year from the date of grant/renewal of this licence :—

- (i) Electronic weigh bridge
- (ii) Suitable arrangement of drinking water
- (iii) Suitable arrangement of light
- (iv) Toilet facility for male/female
- (v) Arrangement for shed
- (vi) Shady resting place for farmers
- (vii) Payment counter
- (viii) Suitable arrangement for parking of tractor trolley etc.
- (ix) Essential apparatus and trained manpower for determining the percentage of moisture, foreign material and damaged grains

In case of an exchange :—

- (a) Electronic trading platform;
- (b) Fully equipped grading, quality testing and certification facility;
- (c) Delivery centre.

On failure in creating above facilities by the end of first year in any of the specified purchase centres, the provisional special licence granted for one year, shall not be regularized for following year for such purchase centre.

4. The special licence shall be effective from the date to 31st march but in contravention of provisions of the Act Rules and bye-laws made thereunder, it may be suspended or cancelled at any time.

5. This licence may be suspended or cancelled on the following main grounds :—

- (i) On not making due payment of agricultural produce to the farmers in the specified market area;
- (ii) on not making payment of the market fees and Nirashrit Shulk as per the provisions and within the specified time limit under the Act, rules and bye-laws;
- (iii) On having been found evading the market fee, maintaining the forged permit, receipts or other forged market records and producing or getting produced forged documents ;
- (iv) On having been found to be defaulter by not making payment of amount due to the market committee or the Board as per notice within the time limit;
- (v) On not producing the prescribed periodical returns within the time limit fixed by the Act, rules and bye-laws made thereunder;
- (vi) On having been found disobeying the directions issued by the Board, market committee;
- (vii) On not purchasing the minimum prescribed quantity of notified agricultural produce.

Seal of the Issuing Office

()
Notified Authority/Officer

FORM-IV

(See Rule 6)

CERTIFICATE REGARDING SECURITY

It is certified that Shri/Smt/Ku son/wife/daughter of Shri firm/company/Society wishes to function as trader in the specified market area as under and for this purpose he/she/it is hereby applying to the notified authority/officer :—

S. No. (1)	Name of the market committee of the specified market area (2)
---------------	--

1. List of purchase centres to be established has been enclosed with the application for purchase of the notified agricultural produce, in the shown/specified market areas by the applicant.

2. An account payee demand draft of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakhs) drawn in favour of the Board is enclosed herewith towards licence fee bearing No dated

3. It is certified that a FDR/Bank Guarantee of an amount of Rs. prepared by me/us in favour of the Board bearing No. dated as security amount is enclosed.

4. It is also certified that if the full payment of notified agricultural produce purchased at the purchase centre is not made to the seller on the same day by the applicant, then the power will rest with the secretary of the administrative market committee to make payment of due amount to the seller from the FDR/Bank Guarantee.

5. It is also certified that as a result of deposit of amount of FDR/Bank Guarantee, sellers do not have risk of payment of their agricultural produce to be purchased by the applicant.

Place :
Date :
Designation/
Capacity

Signature or authorized person
Name of the applicant.

FORM-V

(See Rule 17)

AGREEMENT FORM

Pertaining to Special Licence for Purchase of Notified agricultural produce in more than one market areas

(Under the provision of Section 37 read with bye-law 25)

Name of the Purchaser trader/processor/exchange holding Special Licence Special Licence No.
Agreement Form No Issue Date

1. Name of the specified market area Name of the purchase centre

2. Name of Seller Address

3. Name of Agriculture Produce Type (If any) Estimated Quantity/Bags/Bales.

4. Rates as per agreement/Rate per Quintal Bale Rs.

Signature of Seller

Signature of authorized representative
of purchaser trader/processor/exchange
Name

Actual weight/quantity of agricultural produce mentioned in agreement form.

1. No. of stuffing., 2. No. of Bags/Bales, 3. Total Weight/Quantity
(Weight/Quantity in words) Signature of Weigh man/Operator.

Conditions.—(1) Agreement is made that for the agricultural produce mentioned above, the purchaser is bound to purchase and the seller is bound to sell. Denial will not be made to accept the agricultural produce of the seller directly, by the Purchaser. In case of denial to accept, action will be taken under the provisions of bye-laws. The licence of the Purchaser will be liable to be suspended or cancelled on contravention of the agreement.

(2) On the same day of weighment, the payment of the agricultural produce will be made to the seller as per agreement. In case the payment is not made on the same day, from the next day, at the rate of one percent, per day, additional payment will be made to the seller within five days.

(3) In case the payment is not received on the same day, the seller will inform the market committee. After five days the compliant will not be entertained. In case the payment is not received on the same day, the seller will inform the market committee. After five days the compliant will not be entertained.

FORM-VI

[See Rule 17 (3)]

SALE VOUCHER

Payment or Value of Notified Agricultural produce, purchased in the specified Market Areas

Book No. Sale Voucher No. Date of issue

1. Name of the purchase under Name of the market area

2. Name of the Seller Address

3. Executed Agreement Form No.

Name of the Agricultural produce	Actual weight/ Qty. after weighment as per agreement form	Rate, as per agreement form (Rs. . . . per . . .)	Value of the agricultural produce	Additional payment in case of delayed payment (Rs.)	Amount of Hammali/ weighment recovered as per bye-laws (Rs.)	Net payment made to the seller
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(Signature of authorized representative
of Purchaser trader/processor/exchange)

Signature of Seller

Note.—It is necessary to make payment to the seller on the same day under-section (2) of Section 37 and in case of delay, at the rate of one percent. per day of the value, additional payment will have to be made necessarily by the purchases under clause (b) of sub-section (2) of Section 37.

FORM-VII

[See sub-rule (2) of Rule 22]

PURCHASE OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE(S)

Name of the Licence Holder Firm/Trader/Processor/exchange Licence No. [Period of report, from (date) to (Date)]

S. No. (1)	Name of the specified market area (2)	Name of the Agricultural produce (3)	Opening Stock of the fortnight Wt./Qty. (4)
---------------	--	---	--

In the fortnight from different sources

Purchase from Market/sub-market yard		Purchase at purchase centres		Purchase in specified market area on bills		Purchase from out of market area on permits		Purchase from out of the state on bills		Total purchase (5+7+9+11+13)	
Wt./Qty. (5)	Value (6)	Wt./Qty. (7)	Value (8)	Wt./Qty. (9)	Value (10)	Wt./Qty. (11)	Value (12)	Wt./Qty. (13)	Value (14)	Wt./Qty. (15)	Value (16)

Due Market Fees Purchased as Market fees paid Market Fees Deposited

Stock (17)	Wt./Qty. (18)	Value on which Market Fees is due (19)	Wt./Qty. on which Market Fees has been paid (20)	Value on which Market fees has been paid (21)	Amount (Rs.) (22)	Receipt not date (23)
---------------	------------------	---	---	--	----------------------	--------------------------

Dispatch/Use/Sale

Sale on bills to Traders in to Specified Market area (24)	Own use for processing/despatch/Sale (25)	Sale/despatch on permits out of Market area (26)	Sale on permits out of the Sate (27)	Total Sale/Dispatch during the fortnight Wt./Qty. (24+25+26+27) (28)	Balance stock during the fortnight Wt./Qty. (17-28) (29)
--	--	---	---	--	--

Note.—1 For column No. 9, 11, 13 list pertaining to the Name, Address, Bill No., Date, Name of the Agricultural Produce, Weight/Quantity including total, of Seller Trader will have to be enclosed necessarily.

2. Regarding Column No. 24, 25, 26 & 27 :—

- (a) The list of local sale within the market area in which name of purchaser, trader, bill No. date and total of quantity issued by trader firm and total of quantity issued by trader firm, and
- (b) Permit No./Bill No., date, name of purchaser trader, place and quantity including total regarding despatch/sales out of the Market area or the State, be enclosed compulsorily, without it the report will not be accepted and the information submitted will be treated to be incomplete which will be the reason for taking action under sub-rule (2) of rule 32.

3. To enclose a verified photocopy of the processing register with report as above is also necessary in the case of own use for processing regarding column 25.

It is certified that above information is based on the certified, true and correct accounts and documents available with the firm and is given by scrutiny/reconciliation is fully correct.

Place :

Date :

Signature of the representative
of the trader/processor/exchange
Name
Designation

FORM-VIII

[See sub-rule (4) of Rule 22]

REGISTER OF DAILY PURCHASES AT THE PURCHASE CENTRE IN THE SPECIFIED MARKET AREA

Name of the Holder of Special Licence

Name of purchase centre Date

Name of the incharge of purchase centre

Designation/Capacity

S. No.	Name of Seller	Address	Name of the produce purchased	Quantity Weight	Rate (Rs.)	Value of the Agricultural produce	Amount (Rs.)	No/Date of Sate voucher
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Date of the submission of sale-voucher to the administrative market committee			Quantity of the agricultural produce purchased at the purchase centre during this year till previous day		Value of the agricultural produce purchased at the purchase centre during this year till previous day			
(10)			(11)		(12)			

Signature of Manager/Incharge of
Purchase Centre Name :
Designation/Capacity :

(Name of the Trader/Processor/Exchange)

PURCHASE OF AGRICULTURAL PRODUCE IN THE SPECIFIED MARKET AREA, OTHER MARKET
AREAS AND FROM OUTSIDE THE STATE
(CONCERNED WITH COLUMN 2, 3, 4, 5 OF FORM VI FORTNIGHT REPORT)

S. No.	Name of the Agricultural produce prurchased	Purchased Qty. Wt.	Value of the produce	Name of the Seller trader who sold the produce	Place	Bill/Permit No.	Date of the Bill/ Permit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certified that the information given above is based on the accounts and documents of the trader firm duly examined and is correct.

Date :

Signature of the representative
of trader/processor/exchangeName :
Capacity :

Annexure-II

(Name of the Trader Processor/Exchange)

FORTNIGHTLY RETURN REGARDING SALE/DESPATCH OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE
FROM SPECIFIED MARKET AREA
(IN REFERENCE TO COLUMN NO. 5, 7, 9, 11 AND 13 OF SALE/DESPATCH)

S. No.	Name of the Agricultural produce	Name of the purchaser trader to whom the produce is sold	Place	Issued Bill No.	Date	Quantity of the produce	Value of the produce
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Certified that the information given above is based on the basis of accounts and documents available with the trader firm duly examined and is correct.

Date :

Signature of the representative
of trader/processor/exchangeName :
Designation :

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.